संख्या- 1/2026/जी-1-आई/1418491 /2026/10-17099/5/2026/दस-2026

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक:: 03 अगस्त, 2026**

विषय:- शिक्षा संबंधी सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-जी-1-639/दस-2002-206/2002, दिनांक 02 नवम्बर, 2002 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन शासनादेश संख्या-जी-1-269/दस-2012-206-2002, दिनांक 12 नवम्बर, 2012 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड वेतन रू0 2000/- प्रतिमाह तक के पद पर तैनात राजकीय विभागों के कार्मिकों को दो बच्चों तक के शिक्षण शुल्क संबंधी शैक्षिक सहायता की सुविधा के साथ सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांगजन बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 300/- प्रतिमाह प्रति बच्चा की दर निर्धारित की गई थी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर विचार करने लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय राजकीय विभागों के कार्मिकों को शिक्षा संबंधी सहायता एवं सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांगजन बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति निम्नवत अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल-3 तक के पद पर तैनात राजकीय विभागों के कार्मिकों को वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2002 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शिक्षा संबंधी सहायता अनुमन्य की जाती है।

(2) सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांगजन बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य रू0 300/- प्रतिमाह प्रति बच्चा की दर को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिबन्धों के अधीन तत्काल प्रभाव से रू0 600/- प्रतिमाह प्रति बच्चा तक अनुमन्य किया जाता है।

3- शासनादेश संख्या-जी-1-639/दस-2002-206/2002, दिनांक 02 नवम्बर, 2002 में अंकित अन्य शर्तें/ प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- उक्त संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- श्री राज्यपाल के सचिव।
5- निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध, प्रशिक्षण शोध संस्थान, लखनऊ।
6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
7- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-2 (अधिष्ठान), उत्तर प्रदेश शासन।
8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अनुराग गुप्ता
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।